



# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 222 राँची, गुरुवार, 29 चैत्र, 1946 (श०)  
18 अप्रैल, 2024 (ई०)

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----

संकल्प

6 फरवरी, 2024

**संख्या-5/विविध(आरोप)-03-16/2019 का०-802--**श्री सूर्य प्रकाश, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्र०-584/03) के संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर उनके कार्यावधि में श्री मतियस विजय टोप्पो, तत्कालीन एस०ए०आर० पदाधिकारी, राँची के विरुद्ध संधारित आरोप की संचिका संख्या- 5/आरोप-1-75/2016 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा रिट याचिका संख्या- WP(S) No- 1735/2016 मतियस विजय टोप्पो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक- 31.08.2017 को पारित आदेश को तत्कालीन प्रधान सचिव के संज्ञान में नहीं लाने, श्री मतियस विजय टोप्पो को बार-बार द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु अतिरिक्त समय देने तथा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के लिए श्री प्रकाश के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया, जिसमें उनके विरुद्ध निम्नवत आरोप प्रतिवेदित है:-

(i) श्री सूर्य प्रकाश, सेवानिवृत्त झांप्र०से०, दिनांक 18.01.2017 से 30.06.2018 तक संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित थे ।

(ii) उनके कार्यावधि के दौरान श्री मतियस विजय टोप्पो, तत्कालीन एस०ए०आर०, पदाधिकारी, राँची के विरुद्ध सी०एन०टी० एक्ट की धारा-71ए का दुरुपयोग करने संबंधी आरोप की संचिका सं०-5/आरोप-1-75/2016 में कार्रवाई की गयी थी। उक्त मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा रिट याचिका सं०- W.P.(S) No.1753/2016 मतियस विजय टोप्पो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 31.08.2017 को पारित आदेश में प्रधान सचिव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को श्री टोप्पो के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही एक माह में समाप्त करने का निदेश दिया गया था अन्यथा श्री टोप्पो का निलंबन आदेश निरस्त हो जाने का आदेश था, किन्तु उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश तत्कालीन प्रधान सचिव के संज्ञान में संचिका के माध्यम से नहीं लाया गया ।

(iii) रिट याचिका सं०- W.P. (S) No. 1753/2016 मतियस विजय टोप्पो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 31.08.2017 को यह भी आदेश दिया गया था कि यदि श्री टोप्पो द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर पन्द्रह दिनों में नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अंतिम आदेश पारित किया जा सकता है। किन्तु फिर भी आपके द्वारा बार-बार द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु श्री मतियस विजय टोप्पो को अतिरिक्त समय दिया गया। इस कारण श्री टोप्पो को माननीय न्यायालय में एक नयी रिट याचिका दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त करने का अवसर मिल गया। साथ ही, W.P.(S) No. 1753/2016 में दिनांक 31.08.2017 को पारित आदेश की अवहेलना हुई। आपका यह कृत्य स्वेच्छाचारिता एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुपालन में घोर लापरवाही दर्शाता है ।

(iv) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2017 को पारित उक्त आदेश के आलोक में एक माह की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत श्री टोप्पो का निलंबन रद्द/जारी रखने संबंधी कोई प्रस्ताव तत्कालीन प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया ।

(V) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के आलोक में एक माह में विभागीय कार्यवाही पूर्ण न होने की स्थिति में माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध LPA दायर करने अथवा माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित एक माह की अवधि के विस्तार हेतु I.A. दायर करने संबंधी कोई प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित नहीं किया गया। इस कारण न्यायालय के आदेश की अवहेलना के साथ-साथ विभाग की छवि धूमिल हुई ।

आपका उक्त कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम- 3(1) (i), (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल है ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या- 9019, दिनांक 11.11.2019 द्वारा श्री सूर्य प्रकाश, सेवानिवृत्त झांप्र०से० के विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है ।

3 संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अपने पत्रांक-148, दिनांक-05.03.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन के अन्तर्गत संचालन पदाधिकारी का जाँच एवं निष्कर्ष में मामले का विश्लेषण करते हुए जाँच एवं निष्कर्ष की अंतिम कंडिका में उल्लेख किया गया कि- "उपर्युक्त विश्लेषण एवं आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत बचाव-बयान के साथ अनुलग्नकों का अध्ययन करने के उपरांत आरोपी पदाधिकारी का बचाव-बयान स्वीकृत किए जाने योग्य प्रतीत होता है एवं आरोपी पदाधिकारी पर प्रपत्र 'क' में गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है।"

4 श्री सूर्य प्रकाश, सेवानिवृत्त झारप्र०से० के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत निम्न अंकित कारणों से स्वीकार योग्य नहीं पाया गया:-

(i) आरोप संख्या (ii) के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री प्रकाश के बचाव बयान को स्वीकार किया गया है, जिस पर सहमत नहीं हुआ जा सकता है क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा ही सं०-W.P.(S) No.-1753/2016 मतियस विजय टोप्पो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 31.08.2017 को पारित न्यायादेश में दिनांक 30.09.2017 तक ही श्री टोप्पो के संबंध में विभाग को निर्णय लेना था परन्तु श्री प्रकाश द्वारा निर्णय न लेकर श्री टोप्पो को अतिरिक्त समय दिया गया, जिससे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं हो पाया।

(ii) - आरोप संख्या- (iii) के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री प्रकाश के बचाव बयान को स्वीकार किया गया है, जिस पर सहमत नहीं हुआ जा सकता है क्योंकि श्री प्रकाश द्वारा संचिका को जब तत्कालीन प्रधान सचिव के समक्ष उपस्थापित किया गया। उनके द्वारा अंकित टिप्पणी में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-31.08.2017 को पारित न्यायादेश के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No.-1753/2016 में दिनांक-31.08.2017 को पारित आदेश में स्पष्ट रूप से आदेशित है कि- "If reply to the second show cause notice by the petitioner is not received within next 15 days, disciplinary authority shall be at liberty to pass final order."

फिर भी श्री प्रकाश द्वारा बार-बार द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु श्री मतियस विजय टोप्पो को अतिरिक्त समय दिया गया। इस कारण श्री मतियस विजय टोप्पो को माननीय न्यायालय में एक नयी रिट याचिका दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त करने का अवसर मिल गया। साथ ही W.P.(S) No.-1753/2016 में दिनांक-31.08.2017 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं हो पाया।

(iii) - आरोप संख्या-(iv) के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री प्रकाश के बचाव बयान को स्वीकार किया गया है, जिस पर सहमत नहीं हुआ जा सकता है क्योंकि श्री प्रकाश के बचाव बयान के संदर्भ में अंकित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में एक माह की अवधि के उपरांत श्री टोप्पो का निलंबन स्वतः समाप्त हो जाना था। उक्त अवधि के बाद यदि श्री टोप्पो को निलंबित रखना आवश्यक था, तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री टोप्पो को निलंबन मुक्त करने का प्रस्ताव तत्कालीन प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के समक्ष उपस्थापित किया जाना चाहिए था। परन्तु श्री प्रकाश द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिस कारण श्री टोप्पो को नयी रिट याचिका दायर

कर स्थगन आदेश प्राप्त करने का अवसर मिल गया। साथ ही W.P.(S) No.-1753/2016 में दिनांक-31.08.2017 को पारित आदेश की अवहेलना हुई।

(iv) - आरोप संख्या-(v) के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री प्रकाश के बचाव बयान को स्वीकार किया गया है, जिस पर सहमत नहीं हुआ जा सकता है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No. 1753/2016 में दिनांक-31.08.2017 को पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि 15 दिनों में श्री टोप्पो द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर दाखिल नहीं करते हैं तो अनुशासनिक प्राधिकार अंतिम आदेश पारित करने के लिये स्वतंत्र होंगे। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यदि अतिरिक्त समय की आवश्यकता थी, तो उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष LPA दायर किया जा सकता था, किन्तु श्री प्रकाश द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद दिनांक-31.05.2018 को श्री टोप्पो को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव संचिका में दिया गया, जिसके कारण माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं हो पाया।

4. श्री प्रकाश के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उपर्युक्त समीक्षा के उपरांत जांच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री प्रकाश के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के उनके पेंशन से 05(पाँच) प्रतिशत राशि की कटौती 02(दो) वर्षों तक करने का दण्ड प्रस्तावित किया गया तथा प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-1175, दिनांक-24.02.2022 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री प्रकाश के पत्र दिनांक 02.09.2022 द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया है। श्री प्रकाश द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:-

(क) विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व उनका पक्ष प्राप्त नहीं किया गया। कार्मिक विभाग के पत्रांक-7727 दिनांक-06.09.2019 द्वारा गठित प्रपत्र 'क' पर स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसके साथ प्रपत्र 'क' की प्रतिलिपि संलग्न नहीं थी। अतएव उनके द्वारा दिनांक-20.09.2019 द्वारा प्रपत्र 'क' की प्रति माँगी गयी, जिस पर विभाग के पत्रांक-7784 दिनांक 26.09.2019 द्वारा उन्हें प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया। स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु उनके द्वारा माँगी गई सम्पूर्ण कागजातों को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण विभाग के द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण पर अपना पक्ष नहीं रख पाये। विभाग द्वारा गठित प्रपत्र 'क' पर उनका पक्ष रखे जाने के पूर्व ही संकल्प सं0-9019 दिनांक-11.11.2019 द्वारा उनके विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है।

(ख) उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में जो आरोप गठित किये गये हैं उनमें कहीं भी सरकार को राजस्व क्षति से संबंधित कोई आरोप नहीं है। उक्त संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा WP(S) No.-6876/2019 जगरनाथ प्रसाद साह-बनाम-झारखंड सरकार में पारित न्यायादेश से स्पष्ट है कि उनके विरुद्ध झारखंड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है।

(ग) संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के प्रतिकूल पेंशन में कटौती का प्रस्ताव दिया गया है। संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-148 दिनांक 05.03.2021 समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उनके द्वारा समर्पित बचाव-बयान/पूरक बचाव बयान तथा उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य/पूरक मंतव्य तथा गठित आरोपों की विस्तार से समीक्षा एवं विश्लेषण की गयी है। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में विभागीय जाँच पदाधिकारी के जाँच एवं निष्कर्ष में किये गये विश्लेषण के आधार पर उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपर्युक्त विश्लेषण एवं आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत बचाव-बयान के साथ अनुलग्नकों का अध्ययन करने के उपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी का बचाव-बयान स्वीकृत किए जाने योग्य प्रतीत होता है एवं आरोपी पदाधिकारी पर प्रपत्र 'क' में गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

(घ) जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों को प्रमाणित नहीं माना है। अतएव संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए उनके विरुद्ध पेंशन कटौती का प्रस्ताव दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(ङ) राज्य असैनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति हेतु चयन वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 के संदर्भ में प्रशाखा-1, 2, 3, 4 तथा 5 के द्वारा सितम्बर, 2017 से मई, 2018 के बीच अनेक पीत-पत्र के माध्यम से सभी संबंधित प्रशाखा पूरी तरह से सक्रिय किये गये थे ऐसी परिस्थिति में ही उक्त कार्य के अलावे अन्य कार्यों को प्राथमिकता नहीं दी गई थी।

(च) दिनांक 04.06.1990 (नियुक्ति की तिथि) से दिनांक 30.06.2018 (सेवानिवृत्ति की तिथि) तक उनके विरुद्ध किसी भी नियंत्री पदाधिकारी ने कभी भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी/प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया है। उनके द्वारा सत्यनिष्ठा एवं कर्मठता के साथ किये गये कार्यों के कारण ही तत्कालीन प्रधान सचिव के द्वारा APR में ग्रेडिंग 10 में से 9.81 दिया गया है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आलोक में आरोप मुक्त की जाय।

5 श्री प्रकाश से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा एवं मामले की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री सूर्य प्रकाश द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में पूर्व में समर्पित बचाव बयान के अतिरिक्त उल्लेख किया है कि एक कर्तव्यनिष्ठ सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का पक्ष जाने बिना ही झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही को प्रारंभ किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। इस संबंध में उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर WP(S) No.-4772/2015 जेवियर हेरेंज-बनाम-राज्य सरकार में मांगे गए कागजातों को उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के तहत दिए गए बर्खास्तगी के दंड को निरस्त कर दिया था।

उनके अनुसार उनके विरुद्ध राजस्व क्षति से संबंधित कोई आरोप प्रतिवेदित नहीं है। अतः उनके विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है।

विदित हो कि झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) अनुसार किसी सरकारी सेवक का विभागीय या न्यायिक कार्रवाई में Grave misconduct के दोषी पाये जाने पर उक्त कर्मि का सम्पूर्ण पेंशन या उसकी किसी अंश को रोक या वापस लिया जा सकता है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री प्रकाश के बचाव बयान को स्वीकार किया गया है, जिस पर सहमत नहीं हुआ जा सकता है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No. 1753/2016 में दिनांक-31.08.2017 को पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि 15 दिनों में श्री टोप्पो द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर दाखिल नहीं करते हैं तो अनुशासनिक प्राधिकार अंतिम आदेश पारित करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यदि अतिरिक्त समय की आवश्यकता थी, तो उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष LPA दायर किया जा सकता था, किन्तु श्री प्रकाश द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में वर्णित निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद दिनांक-31.05.2018 को श्री टोप्पो को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव संचिका में दिया गया, जिसके कारण माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं हो पाया। आरोपी पदाधिकारी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित अन्य तथ्य भी आरोप से भिन्न है।

6. समीक्षोपरांत, श्री प्रकाश के विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत उनके पेंशन से 05(पाँच) प्रतिशत राशि की कटौती अगले 02(दो) वर्षों तक करने के निर्णय पर माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-1492, दिनांक 13.03.2023 द्वारा उक्त पेंशन कटौती के दंड के बिन्दु झारखण्ड लोक सेवा आयोग से सहमति की मांग की गयी। उक्त के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक-93, दिनांक 11.01.2024 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

अतः श्री सूर्य प्रकाश, सेवानिवृत्त झांप्र०से० (कोटि क्र०-584/03), तत्कालीन संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत उनके पेंशन से 05(पाँच) प्रतिशत राशि की कटौती अगले 02(दो) वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

**आदेश :-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सूर्य प्रकाश, सेवानिवृत्त झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**चिन्टू दोराईबुरु,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

-----